महत्वपूर्ण/समयवद्ध

संख्या–765/9–9–13–205ज/12

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 अप्रैल, 2013

विषयः– उ0प्र0 के विकास हेतु वर्ष 2013–14 के एजेन्डा "नेशनल अरबन इनफारमेशन सिस्टम (एन.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत भवनों की मैपिंग एवं कराच्छादन" पर कार्यवाही विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 के विकास हेतु शासन के एजेन्डा वर्ष 2013–14 के अनु. श्रवण की व्यवस्था के संबंध में कार्यक्रम कियान्वयन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की छाया प्रति एवं सम्बन्धित एजेन्डा बिन्दु संख्या–155 **"नेशनल अरबन इनफारमेशन सिस्टम (एन.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत भवनों की मैपिंग एवं कराच्छादन"** की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बिन्दु पर समस्त नागर निकायों से तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये समेकित मासिक प्रगति रिपोर्ट/आख्या प्रत्येक माह के 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 के विकास हेतु वर्ष 2013–14 की उक्त कार्य एजेन्डा की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव स्तर पर नियमित बैठक आयोजित की जायेगी। अतः प्रकरण में समयवद्ध कार्यवाही एवं आपका व्यक्तिगत ध्यान निवेदित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)
2– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)
3– वेबमास्टर/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

go-y

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

सेवा में,

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग   लखनऊ   दिनांक   अप्रैल, 2013

विषयः— विकास एजेण्डा वर्ष 2013—14 के अनुश्रवण की व्यवस्था।

महोदय,

शासनादेश संख्या—610/31—2013—20/2012—पी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता वाले सूत्रों को चिन्हित करते हुए **"उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2013—14"** निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास एजेण्डा में सम्मिलित सूत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से सम्यक् विचारोपरान्त उक्त विकास एजेण्डा में सम्मिलित सूत्रों के अनुश्रवण हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:—

2. **"उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा वर्ष 2013—14"** के अन्तर्गत कुल 203 सूत्र सम्मिलित हैं। सभी सूत्रों की अलग पहचान के लिए भिन्न (Unique) कम संख्या आवंटित करते हुए सूत्र संख्या—1 से सूत्र संख्या—203 तक निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक सूत्र की संख्या संलग्नक—1 में दी गयी है।

3. प्रत्येक सूत्र के सन्दर्भ में संबंधित विभाग द्वारा एक नई पत्रावली प्रारम्भ की जायेगी, जिसके शीर्षक में विकास एजेण्डा वर्ष 2013—14, सूत्र संख्या एवं सूत्र का विवरण मोटे अक्षरों में अंकित किया जायेगा। इस पत्रावली में उक्त सूत्र से संबंधित बैठक अथवा प्रस्तुतीकरण आयोजित कराने हेतु एजेण्डा निर्गत करने, मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने, कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने एवं प्रपत्र निर्धारित करने आदि संबंधी कार्य सम्पादित किया जायेगा।

4. **विभिन्न सूत्रों की प्रभावी समीक्षा किये जाने की दृष्टि से समस्त सूत्रों को तीन श्रेणियों** में बाँटा गया है। प्रत्येक सूत्र से संबंधित श्रेणी का विवरण संलग्नक—1 में दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के सूत्रों के सन्दर्भ में संबंधित विभागों से अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है:—

श्रेणी—1— इस श्रेणी में सम्मिलित समस्त सूत्रों के संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। यद्यपि विभिन्न सूत्रों के सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली बैठकों की सम्भावित (Tentative) तिथियों का विवरण संलग्न किया जा रहा है, तथापि बैठक आयोजन की वास्तविक तिथि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय से समन्वय कर संबंधित नोडल विभाग को पर्याप्त समय पूर्व सूचित की जायेगी। बैठक को आयोजित कराने, एजेण्डा निर्धारित करने, प्रतिभाग करने वाले पक्षकारों को सूचित करने, बैठक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने एवं इस हेतु आवश्यक प्रपत्र निर्धारित करने का दायित्व सम्बंधित नोडल विभाग का होगा। बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने, अनुपालन आख्या

तैयार कराने एवं इस हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी नोडल विभाग का होगा। इस श्रेणी में सम्मिलित सूत्रों का विवरण, संभावित (Tentative) तिथियां एवं प्रत्येक सूत्र के संबंध में आयोजित की जाने वाली मासिक बैठकों हेतु नोडल विभागों का विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है।

श्रेणी–2– इस श्रेणी में सम्मिलित समस्त सूत्रों के संबंध में विभागों द्वारा मुख्य सचिव स्तर पर प्रगति का त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण (Quarterly Presentation) किया जायेगा एवं प्रत्येक माह सूत्र से संबंधित पत्रावली पर मासिक प्रगति आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी। यद्यपि त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण की सम्भावित (Tentative) तिथियों का विवरण संलग्न किया जा रहा है, तथापि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय से समन्वय कर वास्तविक तिथि से नोडल विभाग को पर्याप्त समय पूर्व सूचित किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के आयोजन, भाग लेने वाले पक्षकारों को सूचित करने, प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण में प्रगति विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व नोडल विभाग का होगा। बैठक का कार्यवृत्त तैयार करने, अनुपालन आख्या तैयार कराने एवं इस हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी नोडल विभाग का होगा। इस श्रेणी में सम्मिलित सूत्रों का विवरण, संभावित तिथियों एवं प्रस्तुतीकरण आयोजित कराने हेतु नोडल विभाग का विवरण संलग्नक–3 में दिया गया है।

श्रेणी–3– इस श्रेणी के सूत्रों के सम्बंध में सूत्र सं0–194 को छोड़कर प्रत्येक विभाग द्वारा सूत्र से संबंधित पत्रावली पर प्रत्येक माह मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जायेगी। मासिक प्रगति आख्या को देखते हुए इन सूत्रों की समीक्षा हेतु बैठकें आयोजित किये जाने की आवश्यकता एवं उनकी तिथियॉ निर्धारित किये जाने की कार्यवाही विभाग के अनुरोध पर यथा समय की जायेगी। यदि किसी सूत्र का संबंध एक से अधिक विभागों से है तो नोडल विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त कर एवं उसे संकलित कर प्रस्तुत किया जायेगा। प्रगति आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप अथवा प्रपत्र का निर्धारण संबंधित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा। इस श्रेणी में सम्मिलित सूत्र एवं नोडल विभाग का विवरण संलग्नक–4 में दिया गया है।

सूत्र सं0–194 "मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं" के संदर्भ में मासिक प्रगति आख्या उक्त सूत्र से सम्बन्धित पत्रावली पर मुख्य मंत्री कार्यालय में घोषणा सेल के माध्यम से प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की जाएं।

5. प्रस्तर–4 में वर्णित श्रेणी–2 के सापेक्ष अपेक्षित त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण सारगर्भित होना चाहिए। अवांछित चित्रों, सूक्ष्म मुद्दों पर विस्तृत विवरण एवं सामान्य गतिविधियों का बृहद् उल्लेख कर प्रस्तुतीकरण को अधिक लम्बा न किया जाए। यही अपेक्षा श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 में उल्लिखित मासिक प्रगति आख्या के सम्बन्ध में भी की जाती है। आख्या को पत्रावली की बायीं ओर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाए। टिप्पणी यथा संभव तीन पृष्ठ से अधिक की न हो। विस्तृत विवरण अथवा बुकलेट आदि, यदि कोई हों, को पत्रावली पर दायीं ओर रखा जाए।

त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण एवं मासिक प्रगति आख्या में अपेक्षित बिन्दुओं का मार्गदर्शी विवरण संलग्न–5 में दिया जा रहा है। मार्गदर्शी बिन्दु सभी सूत्रों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते एवं न ही ये सभी परिस्थितियों को पूरी तरह आच्छादित करते हैं, इसलिए अपेक्षा

की जाती है कि विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अपने विवेक से यथावश्यक प्रगति आख्या प्रस्तुत करेंगे।

विभिन्न सूत्रों के सन्दर्भ में मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने हेतु भिन्न–भिन्न समयावधियाँ निर्धारित की गई हैं। अपेक्षित आख्या प्रत्येक माह उस सूत्र के सन्दर्भ में निर्धारित तिथियों के मध्य अवश्य प्रस्तुत कर दी जाए। इसके लिए अनुस्मारक जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। निर्धारित तिथियों का विवरण श्रेणी–2 के सूत्रों के सन्दर्भ में संलग्नक–3 तथा श्रेणी–3 के सूत्रों के सन्दर्भ में संलग्नक–4 में दिया गया है।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

सूत्र संo	सूत्र का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग	श्रे
नगरीय सुविधाएं क्षेत्र			
141	राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनाई जाएगी तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	2
142	विभिन्न विकास क्षेत्रों में विकास शुल्क, नगरीय विकास शुल्क तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए नियमावलियों का निर्धारण किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	2
143	निजी पूंजी निवेश के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्गों को आवासों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति को पुनरीक्षित कर लागू किया जायेगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	2
144	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पी.पी.पी. के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी।	आवास एवं शहरी नियोजन	3
145	गाजियाबाद में नार्दन पेरीफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	3
146	लखनऊ में मेट्रो रेल की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे	आवास एवं शहरी नियोजन	2
147	लखनऊ में जय प्रकाश नारायण इण्टरनेशनल कन्वेनशन सेन्टर की स्थापना की जाएगी।	आवास एवं शहरी नियोजन	3
148	विकास योजनाओं को गति देने हेतु चकगंजरिया फार्म की भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन / पर्यटन	1
149	लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	3
150	लखनऊ में गोमती नदी के तटीय विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।	आवास एवं शहरी नियोजन	3
151	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।	नगर विकास	3
152	नगरीय पेयजल सेक्टर विशेष तौर पर जल संस्थान वाले नगरों में नीतिगत ढांचा परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।	नगर विकास	3
153	महत्वपूर्ण नगरीय पेयजल योजनाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।	नगर विकास	3
154	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले समस्त नगरीय निकायों की नगरीय यातायात सुविधा में सुधार किया जाएगा।	नगर विकास	2
155	नेशनल अरबन इन्फॉरमेशन सिस्टम (एन.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत भवनों की मैपिंग एवं कराच्छादन हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।	नगर विकास	2
156	डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (डी.यू.टी.एफ.) की स्थापना की जाएगी।	नगर विकास	2
157	शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	3
158	रिक्शा चालकों के हित के लिए बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा योजना को लागू किया जाएगा।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	3
श्रम क्षेत्र			
159	सैस के लक्ष्य को क्षमता के अनुरूप बढ़ाकर संग्रहीत किया जाएगा तथा उपयुक्त योजनाएं बनाकर श्रमिकों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाएगा।	श्रम	3
160	श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण/लाइसेन्सिंग की प्रकिया को जनहित में त्वरित गति प्रदान किये जाने हेतु ऑनलाइन किया जाएगा।	श्रम	3
161	उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	श्रम	3
पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन			
162	कम्प्यूटर द्वारा स्कैनिंग के माध्यम से दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में नियमावली, 2002 को अतिक्रमित करते हुए नयी नियमावली–2013 बनाई जाएगी तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)	3
163	एन.एल.आर.एम.पी.फेज –2 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 151 उपनिबन्धन कार्यालयों तथा ई–डिलीवरी आफ सर्विसेज आफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट आफ उ0प्र0 के अन्तर्गत कप्यूटराइजेशन के माध्यम से जनोपयोगी सेवाओं को आन लाइन उपलब्ध कराया जाएगा।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन)	3
164	उत्तर प्रदेश स्टाम्प–ई–स्टाम्पिंग नियमावली 2013 को प्रभावी किया जाएगा।	कर एवं निबन्धन (स्टाम्प एवं रजि0)	3

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	नोडल विभाग का नाम	प्रस्तुतीकरण की सम्भावित तिथि	मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने की तिथि
11	कौशल विकास मिशन।	व्यावसायिक शिक्षा	23 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी की 14 तारीख	11–15 तारीख
27	राजीव आवास योजना।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी की 17 तारीख	11–15 तारीख
154	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले समस्त नगरीय निकायों की नगरीय यातायात सुविधा में सुधार किया जाएगा।	नगर विकास	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी की 17 तारीख	6–10 तारीख
155	नेशनल अरबन इन्फॉरमेशन सिस्टम (एन.आई.यू.एस.) के अन्तर्गत नगरों की मैपिंग एवं सर्वेक्षण हेतु प्रभावी कार्यवाई की जाएगी।			
156	डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (डी.यू.टी.एफ.) की स्थापना की जाएगी।			
25	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (यू.आई.जी., बी.एस.यू.पी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. घटकों सहित)	नगर विकास	जून, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च की 20 तारीख	11–15 तारीखं
26	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की योजनाएं			
141	राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनाई जाएगी तथा उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	आवास एवं शहरी नियोजन	26 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी की 17 तारीख	1–5 तारीख
142	विभिन्न विकास क्षेत्रों में विकास शुल्क, नगरीय विकास शुल्क तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए नियमावलियों का निर्धारण किया जाएगा।			
143	निजी पूंजी निवेश के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्गों को आवासों की आपूर्ति बढ़ाने हेतु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति को पुनरीक्षित कर लागू किया जायेगा।			
146	लखनऊ में मेट्रो रेल की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे	आवास एवं शहरी नियोजन	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी की 20 तारीख	1–5 तारीख
46	उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी की 23 तारीख	5–10 तारीख
47	दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।			
56	ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरीडोर परियोजना के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जायेगा तथा कारीडोर के आस–पास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधिओं को विकसित करने हेतु योजना बनाई जाएगी।			
57	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जनपद उन्नाव में ट्रान्स–गंगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।			
76	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड से अधिकाधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हुए परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।			
70	प्रदेश में आधुनिक सड़कों का विकास करने हेतु स्टेट हाई–वे डेवलपमेन्ट प्लान बनाकर लागू किया जाएगा।	लोक निर्माण	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी की 26 तारीख	5–10 तारीख
71	पी0पी0पी0 के आधार पर सड़कों के निर्माण में प्रगति लाई जाएगी।			
55	लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे का निर्माण किया जाएगा।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास		

सूत्र सं0	सूत्र का विवरण	नोडल विभाग का नाम	मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने की तिथि
178	प्रदेश के सभी तहसीलों के निरीक्षण के लिए एक समयबद्ध ढंग से एक रूप–रेखा/ Check Point बनवाकर उनके निर्देश जारी किए जायेंगे ताकि प्रदेश की प्रत्येक तहसील का किसी न किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर लिया जाये।	राजस्व	11–15 तारीख
73	मैत्रेय परियोजना, कुशीनगर में प्रगति लाई जाएगी।	संस्कृति	1–5 तारीख
197	प्रदेश में लगभग 3000 नई बैंक शाखायें खोले जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाएगा ।	संस्थागत वित्त	5–10 तारीख
194	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं ।	समस्त विभाग	1–5 तारीख
43	वैद्यनाथन कमेटी द्वारा संस्तुत वित्त पोषण के माध्यम से जिला सहकारी बैकों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	सहकारिता	5–10 तारीख
59	सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2012 का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	1–5 तारीख
31	आलू की खेती के समग्र विकास हेतु नीति का निर्धारण कर उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।	खाद्य प्रसंस्करण	1–5 तारीख
32	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2012 का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।		
89	उच्च शिक्षण संस्थाओं का एन.ए.ए.सी से मूल्यांकन करा कर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जायेगा।	उच्च शिक्षा	5–10 तारीख
87	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जायेगा।	उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा	1–5 तारीख
88	उच्च शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की जायेगी।		
39	सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पी.सी.डी.एफ. का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	दुग्ध विकास	5–10 तारीख
92	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो की प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार किया जायेगा।	व्यावसायिक शिक्षा	5–10 तारीख
93	अनुदेशक नियमावली में संशोधन करते हुए अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।		
94	व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा।		
95	प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र को क्रियाशील किया जाएगा।		
203	प्रत्येक जनपद में 50 एकड़ अथवा उससे ऊपर की भूमि चिन्हित कर उस पर वृक्षारोपण कराया जायेगा।	वन	11–15 तारीख
75	विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में वैकल्पिक वनीकरण हेतु भूमि बैंक का सृजन किया जाएगा।	वन/राजस्व	11–15 तारीख
157	शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आशरा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	11–15 तारीख
158	रिक्शा चालकों के हित के लिए बैटरी चालित मोटराइज्ड रिक्शा योजना को लागू किया जाएगा।		
151	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।	नगर विकास	11–15 तारीख
152	नगरीय पेयजल सेक्टर विशेष तौर पर जल संस्थान वाले नगरों में नीतिगत ढांचा परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।		
153	महत्वपूर्ण नगरीय पेयजल योजनाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।		
45	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा।	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1–5 तारीख
48	सार्वजनिक निजी क्षेत्र सहभागिता नीति (पी0पी0पी0) का पुनरीक्षण किया जायेगा।		
49	उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास निधि (यू0पी0आई0डी0एफ0) की स्थापना की जाएगी।		
50	जनपद औरैया में प्लास्टिक सिटी परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा तथा उद्योगों की स्थापना कराई जाएगी।		